ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol-2* Issue-11* December- 2017
Innovation The Research Concept

भारतीय संविधान में जनजातियों को प्रदत्त संवैधानिक संरक्षण का विश्लेषणात्मक अध्ययन

मृदुल कुमार सेन
अतिथि प्रवक्ता,
समाजशास्त्र विभाग,
शासकीय महाविद्यालय,
रहली, सागर

सारांश

जनजातियाँ आधुनिक सभ्यता से दूर घने जंगलों, मरूस्थलों, दुर्गम पर्वतों में निवास करती हैं। 1991 की जनगणना के अनुसार जनजातियाँ की कुल जनसंख्या का 4.9 प्रतिशत नगरों में एवं 95.1 प्रतिशत दूरदराज के गांवों में निवास करती है। जनजातियाँ हमारी सभ्यता के वे अंग हैं जो विकास की प्रक्रिया में पिछड़ गये हैं और अपने विचारों एवं जीवन पद्धति में हमारे विकास की प्रक्रिया छुपाये, वे इस तथ्य को इंगित करते हैं कि हम इस सभ्यता के सर्वोच्च शिखर पर पहुँचने के बाद यह ध्यान रखें कि हमारे पूर्वज किस स्थिति में है। आधुनिक सभ्यता से पिछड़े ये हमारे पूर्वज अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहे हैं, क्योंकि इनके सामाजिक एवं कानूनी अधिकार, आधुनिक प्रशासनिक प्रणालियों में विलोपित हो चुके हैं। जनजातियों की इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान निर्माताओं ने इनके विास के लिए विशेष प्रावधान किये हैं।

जनजातियों को बेरियर एल्विन ने 'आदिम जाति', ठक्कर बापा, रिसले, सेजविक, मार्टिन, जयपाल सिंह आदि ने 'आदिवासी', एल.पी. विद्यार्थी ने 'गिरिजन', 1927 में नियुक्त साइमन कमीशन ने 'अनुसूचित' शब्द सुझाया। जी.एस.घुर्रेये ने 'पिछड़े हिन्दू' तथा उन्होंने इनके लिए 'अनुसूचित जनजातियाँ, नाम प्रस्तावित किया, जो कि भारतीय संविधान अनुच्छेद 342 के अंतर्गत स्वीकारा गया है। भारतीय संविधान में जनजातियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 366 (25) में वर्णित है कि ''अनुसूचित जनजातियों'' से ऐसी जनजातियाँ या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजातियों या जनजाति समुदायों के भाग या उनमें के यूथ अभिप्रेत हैं जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए अनुच्छेद 342 के अधीन अनुसूचित जनजातियाँ समझा जाता है। एम्पीरियल गजेटियर ऑफ इण्डिया के अनुसार ''जनजाति समान नाम धारण करने वाले परिवारों का एक संकलन है, जो समान बोली बोलते हों, एक ही भूखण्ड पर अधिकार करने का दावा करते हों अथवा दखल रखते हो तथा जो साधारणतया अन्तर्विवाही न हो, यद्यपि मूलरूप में चाहे वैसे रह रहे हों।''

मुख्य शब्द : भारतीय संविधान, जनजातियाँ, भूखण्ड

प्रस्तावना

विश्व में सर्वाधिक जनजातियाँ भारत में निवास करती हैं। भारत सरकार की जनगणनाओं से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार जनजातियों की संख्या 1881 में 2.57 प्रतिशत, 1891 में 3.26 प्रतिशत, 1901 में 2.88 प्रतिशत, 1911 में 3.17 प्रतिशत, 1921 में 2.97 प्रतिशत, 1931 में 2.26 प्रतिशत, 1941 में 8.00 प्रतिशत, 1951 में 6.23 प्रतिशत, 1961 में 6.87 प्रतिशत, 1971 में 6.94 प्रतिशत, 1981 में 7.50 प्रतिशत, 1991 में 8.10 प्रतिशत, 2001 में 8.20 प्रतिशत थी। भारत में जनजातियों का विवरण असमान है। भारत की जनजातियों का 55 प्रतिशत भाग पूर्वी तथा मध्य जनजातीय क्षेत्रों में, 28 प्रतिशत भाग पश्चिमी जनजातीय क्षेत्रों में, 6 प्रतिशत भाग दक्षिण में, 10 प्रतिशत भाग उत्तरीपूर्वी भारत में, 0.83 प्रतिशत भाग हिमाचल प्रदेश तथा 0.10 प्रतिशत भाग लक्ष्यद्वीप व मिनीकाय द्वीप समूह तथा अण्डमान निकोबार द्वीप समूह में है। भारत के 93846 गोंवों को जनजातीय गांव घोषित किया गया है।

भारत सरकार ने नृतात्विक सर्वेक्षण विभाग 1967 ने भारत में 314 प्रकार की अनुसूचित जनजातियों के बारे में पता लगाया है। 1951 में भारत में 212 प्रकार की अनूसूचित जनजातियों की सूची तैयार की गयी। अनुसूचित जनजातियों की संख्या संसद की विभिन्न अधिसूचनाओं के अनुसार घटती बढ़ती रहती है। वर्तमान में अनुसूचित जनजातियों की संख्या लगभग 550 है।

भारत के संविधान में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण एवं विकास की कामना की गयी है। भारतीय संविधान की सिद्धांत पीठिका देश की संपूर्ण जनता के लिए आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति एवं विश्वास, मान्यता एवं धर्म की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता की गारंटी देती है तथा व्यक्ति के सम्मान एवं राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए भारतीयों में बंधुत्व के विकास को अभिकल्पित करता है। भारतीय संविधान के मूल अधिकार इस तथ्य का उल्लेख करते हैं कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तथ्व इस तथ्य का उल्लेख करते हैं कि राज्य कमजोर वर्ग के लोगों, विशेषकर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनाति के शैक्षणिक व आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा तथा उन्हें समाजिक अन्याय एवं शोषण से सुरक्षा प्रदान करेगा।

अनुच्छेद–15(4)

धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस प्रकार अनुसूचित जनजातियों को सभी मनुष्यों के समान माना गया।

अनुच्छेद–16(4)

संविधान के इस अनुच्छे में अनुसूचित जनजातियों के लिए शासकीय सेवाओं में नियुक्ति एवं पदों के आरक्षण का प्रावधान है। इसके पीछे मंशा यह है कि अनुसूचित जनजातियाँ सरकारी नौकरियाँ प्राप्त करके समाज में समुचित स्थान प्राप्त कर सकें।

अनुच्छेद–19(5)

जनजाति के हितों की रक्षा हेतु विधि द्वारा युक्तियुक्त निवास आदि पर प्रतिबंध लगाना ताकि उनकी संस्कृति सुरक्षित रहे। संविधान के इस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए हितों की रक्षा हेतु इस बात का प्रावधान है कि ऐसे कानून न बनाये जायें जिससे उनकी संस्कृति में व्यवधान पैदा हो।

अनुच्छेद–23

संविधान के इस अनुच्छेद में बलात श्रम या बेगार की समाप्ति एवं बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाई गयी है। इस प्रावधान के कारण अनुसूचित जनजातियों पर कोई अत्याचार नहीं कर सकता।

अनुच्छेद–29

संविधान का यह अनुच्छेद नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को अपनी विशेष भाषा, लिपि एवं संस्कृति को बनाए रखने की गारंटी देता है। इस प्रावधान से अनुसूचित जनजातियाँ अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि एवं संस्कृति की रक्षा कर सकती है।

अनुच्छेद–46

संविधान के इस अनुच्छेद में वर्णित है कि राज्य समाज के कमजोर वर्गों, विशेषतः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा देने की ओर विशेष ध्यान देगा तथा सामाजिक अन्याय एवं सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा।

अनुच्छेद–164

संविधान के इस अनुच्छेद में प्रावधान है कि म.प्र. , छत्तीसगढ़, बिहार, झारखण्ड, उड़ीसा में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए एक प्रभारी मंत्री की नियुक्ति करना।

अनुच्छेद–243 घ

संविधान के इस अनुच्छेद से पंचायतों में अनुसूचिज जनजाति के सदस्यों को आरक्षण। पंचायतों में अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए भी आरक्षण का प्रावधान है।

अनुच्छेद–244

संविधान के इस अनुच्छेद में अनुसूचित क्षेत्रों को परिभाषित किया गया है कि राष्ट्रपति, राज्यपाल की सलाह पर अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा कर सकता है। इस अनुच्छेद में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के लिए क्षेत्रीय परिषदों का गठन एवं विशेष अधिकार का उल्लेख है तथा जनजातीय सलाहकार परिषद् की स्थापना का उल्लेख है।

अनुच्छेद–275

संविधान के इस अनुच्छेद में वर्णित है कि जनजातीय कल्याण के लिए केन्द्र राज्य को अनुदान देगा। जिससे उनका समुचित विकास हो सके। इसके तहत केन्द्र विशेष जनजातीय राज्यों को अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए आर्थिक मदद प्रदान करता है।

अनुच्छेद–330

संविधान के इस अनुच्छेद में वर्णित है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए आरक्षण प्रदान किया जायेगा। संविधान के इस अनुच्छेद के पीछे मंशा यह है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्य सदन में पहुंच कर अपने कल्याण के लिए योजनाओं को कार्यरूप दे सकेंगे।

अनुच्छेद–332

संविधान के इस अनुच्छेद में वर्णित है कि देश की विभिन्न विधानसभाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को आरक्षण प्रदान किया जायेगा। इस प्रावधान से देश के 28 प्रदेशों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्य विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व प्राप्त कर सकें।

अनुच्छेद–335

शासकीय सेवाओं में नियुक्ति करते समय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के दावों को ध्यान में रखा जाएगा।

अनुच्छेद–338

संविधान के इस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आयोग के गठन का उल्लेख है। जो कि राष्ट्रपति को संविधान के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास की योनाओं, उनके संरक्षण, कल्याण एवं उनकी सुरक्षा के लिए सुझाव देगा।

अनुच्छेद–339

संविधान के इस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन एवं अनुसूचित जनजाति के कल्याण के बारे में संघ के नियंत्रण हेतु आयोग के गठन का प्रावधान है।

अनुच्छेद–342

संविधान के इस अनुच्छेद में वर्णित है कि राष्ट्रपति किसी भी जाति को अनुसूचित जनजाति घोषित कर सकता है। ''अनुसूचित जनजातियों'' से ऐसी जनजातियाँ या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजातियों या जनजाति समुदायों के भाग या उनमें यूथ अभिप्रेत है जिन्हें राष्ट्रपति ने स्वीकृति प्रदान की है और जिन्हें सूचीबद्ध कर अधिसूचित कर दिया गया।

पाँचवीं अनुसूची

संविधान की यह अनुसूची, संविधान के अनुच्छेद 244(1) के तहत अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण को परिभाषित करती हैं। इसमें वर्णित है कि राष्ट्रपति, राज्यपाल की सलाह पर अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा कर सकता है, राष्ट्रपति को अनुसूचित क्षेत्रों का क्षेत्रफल घटाने, बढ़ाने एवं सीमाओं के बदलाव का अधिकार है। संविधन की इस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन हेतु जनजातीय सलाहकार परिषद के गठन का उल्लेख है, जो कि अनुसूचित जनजातियों के विकास, कल्याण एवं उत्थान के लिए राष्ट्रपति को सलाह देगी।

छठीं अनुसूची

संविधान की इस अनुसूची में संविधान के अनुच्छेद 244(2) एवं अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुसूचित पूर्वोत्तर भारत के असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है। इस अनुसूची में स्वशासी जिलों, स्वशासी प्रदेशों, जिला परिषदों, प्रादेशिक परिषदों आदि के गठन एवं प्रशासन का व्यापक रूप से उल्लेख है।

अध्ययन का उद्देश्य

1. अनुसूचित जनजातियों को पूरा न्याय मिल सके।
2. गंदी बस्तियों का सुधार हो, जिससे लोगों को स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ वायु व जल उपलब्ध हो।
3. शासन द्वारा उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके।
4. इनके विकास हेतु बड़ी संख्या में अलग–अलग शालायें, छात्रावास, आश्रम आदि संस्थाएँ कार्यरत् हो।
5. शासन द्वारा इनको ऋण संबंधी सहायता देने के कार्यक्रम चलाये जाये। जो शीघ्रअतिशीघ्र प्रदान किया जाये।
6. शासन द्वारा इन योजनाओं में जो शिथिलता है वह शीघ्रता दिखाई जाये। जिससे इनका सर्वांगीण विकास हो सके।

निष्कर्ष

इस प्रकार भारतीय संविधान में जनजातियों के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक तथा सर्वागीण विकास की कामना की गई है। जो कि इनके सम्पूर्ण विकास के लिए संविधान के साथ–साथ सरकार एवं सामाजिक सहयोग की अपेक्षा है जिससे सम्पूर्ण विकास हो सके और समाज में अपना स्थान स्थापित कर सकें और राष्ट्रहित के विकास में अपना सहयोगप प्रदान कर सकें।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. *अवस्थी, मंजू–भारत का संविधान, इण्डिया पब्लिशिंग कंपनी, रायपुर, 2007*
2. *भारत सरकार के विभिन्न जनगणना आंकड़े*
3. *बसु डी.डी.–भारत का संविधान, सातवां संस्करण, वाधवा एण्ड कंपनी, नागपुर 2011*
4. *दुबे, श्यामाचरण–मानव संस्कृति, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 1995*
5. *गुप्ता, मंजू–जनजातियों का सामाजिक आर्थिक उत्थान, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली*
6. *हसनैन, नदीम–जनजातियों का सामाजिक आर्थिक उत्थान, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली*
7. *झा एवं सिंह–मानव विज्ञान, भारती भवन, पब्लि, एवं डिस्टी., पटना 1997*
8. *कुमार, डॉ. प्रमीला–मध्यप्रदेश एक भौगोलिक अध्ययन, म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल 1997*
9. *मजूमदार, डी.एन. एवं मदान, टी.एन.–सामाजिक मानवशास्त्र परिचय, मयूर पेपरबैक्स, नोएडा, 2000*
10. *मध्यप्रदेश सामाजिक विज्ञान अनुसंधान जर्नल, उज्जैन, जनवरी–दिसम्बर, 2006*
11. *पाण्डेय, जय नारायण–भारत का संविधान, सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी, इलाहाबाद, 1996*
12. *तिवारी डॉ. शिवकुमार एवं शर्मा, डॉ. श्रीकमल–मध्यप्रदेश की जनजातियाँ, समाज एवं व्यवस्था मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल, 1997*
13. *उप्रेती, हरिश्चन्द्र–भारतीय जनजातियाँ, सामाजिक विज्ञान हिन्दी रचना केन्द्र, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, 1970*
14. *उपाध्याय, विजयशंकर एवं पाण्डे, गया–जनजातीय विकास, म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अमादमी, भोपाल, 2002*